न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 203/2024 (GCMS: 2024/293)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री अजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति कुम्हार उम्र 22 साल निवासी गली नं. 6, ग्राम पंचायत 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 85599-42665

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 23.11.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ रमन की दुकान, 100 फुट रोड, ग्राम पंचायत 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर में स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री अजय कुमार पुत्र कृष्णलाल उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 25 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनियों, 1 लोहे की कीप, 1 हिसाब-किसाब रजिस्टर मिला एवं अजय कुमार की दूसरी दुकान प्लॉट नम्बर 90, अग्रेसन इण्डस्ट्रीयल एरिया, श्रीगंगानगर की गोदाम/दुकान की जांच करने पर गोदाम/दुकान में 3 लोहे के ड्रमों में प्रति ड्रम 200 लीटर डीजल कुल 600 लीटर डीजल, 3 प्लास्टिक कैनियों में प्रति कैनी 10 लीटर डीजल कुल 30 लीटर डीजल तथा एक अन्य प्लास्टिक कैनी में 20 लीटर डीजल कुल 650 लीटर डीजल तथा 5 प्लास्टिक कैनियों मे प्रति 40 लीटर पेट्रोल कुल 200 लीटर पेट्रोल, 1 लोहे की कीप, 2 माप लोहे (10 व 5 लीटर) पाये गये। इस प्रकार दोनों दुकान/गोदाम में कुल 650 लीटर डीजल तथा 225 लीटर पेट्रोल पाया गया, जिसे श्री अजय कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल-पेट्रोल का बेचान अपनी उक्त दुकान में करता हैं।** मौके पर अजय कुमार द्वारा पेट्रोल/डीजल के [illegible] दस्तावेजात/ अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल ने बिना अनुमति/[illegible] पेट्रोल **का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार विवरण) आदेश 2005 के खण्ड 2(ये),3(4) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर, मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जब्तशुदा 650 लीटर डीजल, 225 लीटर पैट्रोल, 3 लोहे के ड्रम, 11 प्लास्टिक कैनिया, 2 लोहे की कीप, 2 माप लोहे तथा 1 हिसाब किताब रजिस्टर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी अजय कुमार को नोटिस जारी किया गया था, जो अप्रार्थी अजय कुमार स्वयं को नोटिस विधिवत् तामील प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 23.11.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी अजय कुमार की दुकान एवं गोदाम पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करन मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(थ),3(4), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 650 लीटर डीजल, 225 लीटर पैट्रोल, 3 लोहे के ड्रम, 11 प्लास्टिक कैनिया, 2 लोहे की कीप, 2 माप लोहे तथा 1 हिसाब किताब रजिस्टर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 23.11.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु रमन की दुकान, 100 फुट रोड़, ग्राम पंचायत 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे तो मौके पर अजय कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जाचं की गई। मौके पर दोनों दुकानों एवं गोदाम में 650 लीटर डीजल, 225 लीटर पैट्रोल, 3 लोहे के ड्रम, 11 प्लास्टिक कैनिया, 2 लोहे की कीप, 2 माप लोहे तथा 1 हिसाब किताब रजिस्टर पाया गया, जिसे अप्रार्थी अजय कुमार ने स्वयं का [illegible] स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल/पेट्रोल का बेचान रमन की दुकान 100 फुट रोड़, ग्राम पंचायत [illegible] स्थित दुकान में करता है। मौके पर अजय कुमार ने पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए में 650 लीटर डीजल, 225 लीटर पैट्रोल, 3 लोहे के ड्रम, 11 प्लास्टिक कैनिया, 2 लोहे की कीप, 2 माप लोहे तथा 1 हिसाब किताब रजिस्टर को जब्त किया गया। अजय

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 203/2024
सरकार बनाम अजय कुमार
(GCMS No. 2024/293)
आदेश दिनांक 01.05.2026

कुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ),3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है इसलिए जब्ताशुदा में 650 लीटर डीजल, 225 लीटर पैट्रोल, 3 लोहे के ड्रम, 11 प्लास्टिक कैनिया, 2 लोहे की कीप, 2 माप लोहे तथा 1 हिसाब किताब रजिस्टर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः–

> **''जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।''**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी अजय कुमार को नोटिस जारी किया गया था, जो अप्रार्थी अजय कुमार स्वयं को नोटिस विधिवत् तामील प्राप्त होने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुआ, इससे साबित होता है कि अप्रार्थी प्रकरण में अपने पक्ष में कोई तथ्य पेश नहीं करना चाहता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से [illegible] डीजल, 225 लीटर पैट्रोल **का भण्डारण एवं बेचान करते हुए** [illegible] **है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी** [illegible] के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

इस प्रकार अप्रार्थी अजय कुमार के कब्जे से उसकी दुकान में 650 लीटर डीजल, 225 लीटर पैट्रोल एवं अन्य सामग्री बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी अजय कुमार के पास पेट्रोल के भण्डारण/बेचान करने का का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 203/2024
सरकार बनाम अजय कुमार
(GCMS No. 2024/293)
आदेश दिनांक 01.05.2026

लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 650 लीटर डीजल एवं 225 लीटर पेट्रोल का "भण्डारण एवं बेचान" करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 650 लीटर डीजल एवं 225 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 650 लीटर डीजल एवं 225 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 650 लीटर डीजल एवं 225 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पा[illegible]ई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा [illegible] खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:51 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर